कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1579 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/12/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00 (बेरीनाग– चकोड़ी – काण्डा– बागेश्वर – ताकुला) दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रस्तावित मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 423/12–1 दिनांक 01.09.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2300/12–1 (2) दिनांक 10.11.2023 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रांक 2300 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10-11-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)

सन्दर्भ – भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0/972 दिनांक 25.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत विषयक प्रस्ताव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल 36.81 है0 भूमि चयनित की गयी थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 6.00 है0 भूमि VDF (Very dense forest) बतायी गयी है एवं 6.00 है0 के स्थान पर अन्यत्र सी0ए0 भूमि चयनित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः उपरोक्त क्रम में मेरे द्वारा स्वयं दिनांक 05.11.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया है कि लमगड़ा कक्ष संख्या 02 में चयन की गयी 6.00 है0 भूमि 1000 पौध/है0 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 2300/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

O/C

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/151120/2022**

परियोजना का नाम एवं जनपद–	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन
प्रयोक्ता एजेंसी का नाम व पता–	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत
प्रभाग का नाम व पता–	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र लमगड़ा कक्ष सं0 02 में आरक्षित भूमि में 6.00 है0 का पुनः दिनांक 05.11.2023 को श्री दीपक सिंह द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है।

अतः उक्त क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है, जिसमे 1000 पौध/प्रति हे0 रोपित किये जा सकते है।

हस्ताक्षर

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx